# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/322

1. रामदेव आयु 75 वर्ष
2. देवीलाल आयु 65 वर्ष पिसरान तेजा जाति बैरवा निवासीगण ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. पारसी पत्नी रघुनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राम कुमार दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महावीर कटारिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

**निर्णय** दिनांक: 14.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया के खाते व कब्जे में ग्राम तलवास में खाता संख्या नया 86 की भूमि खसरा नम्बर 784 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 785 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 786 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 787 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा कुंल किता 04 कुल रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा तथा खाता संख्या 87 नया की भूमि खसरा नम्बर 782 रकबा 15 बिस्वा भूमि है इस भूमि पर 15 फुट चौडाई का रास्ता ग्राम तलवास से पूर्व दिशा में जाता हुआ भूमि खसरा नम्बर 836 व 837 तथा 785 के मध्य होकर वादिया के खाते की भूमि खसरा नम्बर 787 पर पहुंचता है सदैव से ही रास्ता है । इसी में होकर कृषि उपज लाते ले

जाते हैं इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थिया के खेत पर जाने का नहीं है । प्रार्थिया खसरा नम्बर 836 व 837 एवं 785 की भूमि का जो भी भाग 15 फुट चौडे रास्ते में आये उसकी कीमत डीएलसी की प्रस्तावित दर की जमा कराने को तैयार है ।

3. अतः प्रार्थिया के खातेदारी की ग्राम तलवास की उक्त भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में दिया है जो रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शाया है उसमें होकर आने–जाने हेतु रास्ता नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.05.2017 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कुल 06 बिस्वा भूमि जिसका प्रचलित बाजार दर से दुगना राशि राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त मौके पर रास्ता बहाल करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं पक्षकारों को बिना सूचित किये प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में त्रुटि की है । खसरा नम्बर 789, 794, 795, 836 एवं 837 की मध्य की मेर को 15 फुट चौडा रास्ता बताकर रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा गलत रूप से अंकन किया गया है जबकि उक्त भूमियॉ अपीलान्टस को बंटवारे के अनुरूप खातेदारी में मिली है एवं उक्त भूमियों के मध्य किसी प्रकार का 15 फुट चौडा रास्ता कायम नहीं है एवं न ही राजस्व नक्शे में रास्ता अंकित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.05.2018 को जब हल्का पटवारी एवं कानूनगो मौके पर आकर अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि का नाप कर रहे थे तो उक्त अपीलाधीन आदेश के बारे में बताया गया जिस पर दिनांक 14.05.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) पेश किया । लोक अदालत में तहसीलदार नैनवा से रिपोर्ट प्राप्त कर रास्ता कायम किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 789, 793 उपं 795 में होकर खातेदारान को 52800/– रूपये की राशि दिलाये जाने का आदेश पारित कर दिया । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार

नहीं बनाया गया है । अपीलान्टगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के मौके पर भूमि को नापने हेतु आने पर हुई । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट को तोड–मरोडकर निर्णय में अंकित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने रास्ते की कायमी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें लोक अदालत में मजमे आम में तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने सरकार को पक्षकार बनाकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया था कि प्रार्थिया के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 836, 837 एवं 785 के मध्य होकर उनका रास्ता जात है जिसमें 15 फिट चौडा रास्ता कायम किया जावे । इस प्रार्थना पत्र के साथ खसरा नम्बर 836 837 की जो नकल जमाबन्दी पेश की गई हैं उसमें खातेदारान रामेदव, देवीलाल, रामप्रसा पिसरान तेजा दर्ज हैं परन्तु इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 1033 का नोट भी अंकित है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश से खसरा नम्बर 789, 793, 794 एवं 795 में से रास्त कायम किया गया है और संलग्न जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 789, 794, 79 अपीलान्टगण के खाते में दर्ज है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को पक्षकार न बनाया है । अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उन खाते की आराजी में रास्ता कायम किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कि जाना आवश्यक समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्ण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जतीी है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा